न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—439/2014/223 आर.टी.एक्ट (2014/00018)

1. श्रीमती कंवरी पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह
2. श्रीमती फूली पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह
3. श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह

समस्त जाति रावत निवासीयान सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी कृष्णा मिल की चाली ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मैथी देवी पत्नी स्व0 बिरदासिंह
2. देवासिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
3. बिरमसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
4. पूनमसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
5. टीकमसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
6. उदयसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
7. गोपालसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह

समस्त जाति रावत निवासीयान सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

8. सुगना देवी पुत्री स्व0 बिरदासिंह पत्नी बाबूसिंह जाति रावत निवासी सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी काछबली (हेलडाई) तहसील भीम जिला राजसमंद।
9. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 बिरदासिंह पत्नी पंचमसिंह जाति रावत निवासी सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी काछबली (हेलडाई) तहसील भीम जिला राजसमंद।
10. श्रीमती सीतादेवी पुत्री स्व0 बिरदासिंह पत्नी कैलाशसिंह जाति रावत निवासी सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी देलवाडा शेरो की बावडी तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
11. मोहनसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
12. श्रीमती सायरी पत्नी स्व0 देवीसिंह
13. पप्पूसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
14. टीकमसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह (मृतक) जरिए वारिसान
    - 14/1 सीता देवी बेवा टीकमसिंह
    - 14/2 मास्टर ढगलसिंह उर्फ राजु पत्र टीकमसिंह
    - 14/3 कुमारी कोमल पुत्री टीकमसिंह नाबालिगान जरिए
    - 14/4 कुमारी सोनू संरक्षक वली माता सीतादेवी।
15. भगवान सिंह पुत्र देवीसिंह

    समस्त जाति रावत निवासी सूबेदार का बाडिया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी कृष्णा मिल की चाली ब्यावर जिला अजमेर।
16. नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
17. अमित बोहरा पुत्र ज्ञानचंद बोहरा जाति जैन निवासी लोकशाह नगर ब्यावर जिला अजमेर।
18. उप--पंजीयक ब्यावर, जिला अजमेर।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी ,ब्यावर दिनांक 27.10.2014, वाद संख्या 63/ 2014.

उपस्थितः–

1. श्री दिलीप सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
3. श्री संदीप आनंदकर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 से 13, 15
4. श्री जी0एस.लखातव अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02।
5. श्री रविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17 अनुपरिथत।
6. रेस्पोडेंट संख्या 14/1 से 14/4, 16 अनुपरिथत

निर्णय

दिनांकः–29.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 63/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजरथान भू–राजस्व अधिनियम का माननीय अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर में इस आशय का पेश किया कि मौजा ग्राम मालपुरा सुबेदार का बाडिया पटवार क्षेत्र मालपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में रिथत चली आती है। विवरण पत्रावली में वर्णित है। अपील की चरण संख्या 1 में वर्णित अराजी कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 के पिता स्व0 श्री बिरदासिंह का 1/2 हिस्सा था एवं शेष 1/2 हिस्से में अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 15 के पिता स्व0 श्री देवीसिंह मालिक खातेदार थे एवं श्री बिरदासिंह व देवीसिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। स्व0 श्री बिरदा की मृत्यु के पश्चात् उनके जीवित वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 है एवं स्व0 श्री देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके जीवित वारिसान अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 15 है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में से खसरा संख्या 114, 117 बाबत गलत व विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री बिरदा ने अपने नाम खातेदारी अंकन करवाई है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियों में अपीलांटस का हक व हिस्सा स्व0 श्री देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात् से उत्पन्न हुआ है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियों में से 1/2 हिस्से में से अपीलांटस का हिस्सा 1/8 वां हिस्सा 1/8 वां हिस्सा आता है और उक्त 1/2 हिस्से में से 1/8 वां हिस्से की खातेदारी प्रत्येक अपीलांटस प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 भाग में से अपीलांटस का 1/8 वां हिस्सा बतौर खातेदार स्व.श्री देवी सिंह की मृत्यु के पश्चात से निहित चला आता है एवं कानूनन भी देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात् अपीलांटस खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है।रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत वाद जिसकी आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तारीख पेशी दिनांक 03.11.2014 को वास्ते सुनवाई नियत है उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियों में से खसरा संख्या 115, 116 के बाबत ही वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांटस का जो हक व हिस्सा है वह अपील की चरण संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण खसरान में से हक व हिस्सा तबौर खातेदार के निहित है इसलिए प्रस्तुत वाद अलग से प्रस्तुत किया जाकर अधीनस्थ न्यायाल से निवेदन किया गया कि न्यायहित में एवं न्यायिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपीलांटस को वादग्रस्त अराजीयात का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके हिस्से में आने वाली अराजीयात का बाई मिटस एण्ड बोउन्डस के बंटवारा किए जाने की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वीदयागण का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 10, 11से 13 ,15 की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 17 अनुपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14/1 से 14/5, 16 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने जवाब/बहस कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद को अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए खारिज फरमाया है जबकि अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के किसी भी प्रावधान के तहत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु/कथन नहीं आते हैं एवं माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मानमाने एवं मशीनी तौर पर आदेश पाति फरमाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए आदेशित किया है कि चूंकि प्रकरण संख्या 111/2010 में प्रतिवादीगण से जिरह की जा चुकी है जबकि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी भगवानसिंह की जिरह आज दिनांक तक भी शेष है एवं प्रतिवादीगण की किसी भी प्रकार से जिरह पूर्ण नहीं हुई है ठीक इसी प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में यह आदेशित किया है कि केवल मात्र प्रकरण संख्या 111/2010 को लम्बित किए जाने की नियत से यह नया प्रकरण प्रस्तुत किया है एवं जिस पर अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है अतः अब इस स्तर पर इस नए प्रकरण में पूववर्ती वाद संख्या 111/2010 के विचाराधीन रहते उन्हीं वादग्रस्त खसरा नम्बर पर अनुतोष चाहा है जो न्यायोचित नहीं है चूंकि अभी पूर्ववर्ती वाद संख्या 111/2010 न्यायालय में विचाराधीन है एवं यदि इसमें कोई पक्षकार बनने से शेष रहा है एवं तत्समय नए पक्षकार बनाने हेतु व न्यायालय हाजा के समक्ष कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके हो तो उसके प्रति पूर्ववर्ती वाद के प्रतिवादीगण जरिए समुचित साक्ष्य के विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकते है, पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बैक डोर ऐंट्री कर नया वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में विधि के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित फरमाया है क्योकि पूर्ववर्ती वाद में वादीगण/अपीलार्थीगण ने दिनांक 21.02.2012 को अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार मुकदमा बनाने हेतु निवेदन ने उक्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत एवं भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत स्व0 श्री देवीसिंह के जीवित वारिसान प्रस्तुत अपील के रेस्पोडेंट संख्या 11 से 15 व अपीलांट है एवं उक्त पूर्ववर्ती वाद में माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने व उक्त पूर्ववर्ती वाद के वादीगण को पूर्ण जानकारी के पश्चात भी पक्षकार मुकदमा नहीं बना रहे है एवं उक्त पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने से वादीगण का विधिक अधिकार समाप्त नही हो सकता है एवं अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने वाद प्रस्तुत किया जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया जो कि विधिविरूद्ध एंव गैर कानूनी है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के निर्णय दिनांक 27.10.2014 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा.दी.में अपीलार्थी का वाद खारिज कर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है क्योंकि वर्तमान अपीलकर्ता स्वंय को देवी सिंह की पुत्रियॉ होना कथन कर वर्तमान मुकदमेंबाजी कर रही है, जबकि देवीसिंह के अन्य वारिसान द्वारा जो अपील में प्रत्यर्थी संख्या 11, 12, 13, 14, 15 है उनके द्वारा दिनांक 05.05.2001 को रूपयों की आवश्यकता बताते हुए एक इकरारनामा किया गया तथा इकरारनामा की पालना में राशि प्राप्तकरने के उपरान्त भी रजिस्ट्री नहीं करवाने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,ब्यावर के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 30.50.2002 को निर्णय पारित कर उक्त दीवानी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा अपन एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2001 में पारित निर्णय की अनुपालना में इजराय संख्या 7/2002 की पालना में न्यायालयों के आदेशो के अनुसरण में दस्तावेज का पंजियन दिनांक 16.02.2008 को करवाया गया तथा उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा इजराय के माध्यम से किया गया पंजिकृत दस्तावेज के विद्यमान रहते हुए वर्तमान वादीगण दीवानी वाद के निर्णय व डिक्री को अकृत व शून्य घोषित नहीं करवा सकते है। इस का निर्णय विधि अनुकूल है। अपीलकर्तागण द्वारा समस्त तथ्यों की जानकारी रहते हुए तथा राजस्व वाद संख्या 111/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2010 में तथा दस्तावेज के पंजियन के विन्दू अंकित है इनकी जानकारी रहते हुए वर्तमान वाद में सारवान तथ्यों को अपने वाद में अंकित कर न्यायालय को मुगालते देने के उद्देश्य से पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत किया जिसे खारिज करने में न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई तथा आदेश 07 नियम 11 जा. दी. के तहत् न्यायालय की शक्तिया इसी तरह से मुकदमेंबाजी बाबत् है वहॉ न्यायालय मुकदर्शक नहीं रह सकता है तथा इसी कारण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने राजस्व जो पहले से न्यायालय में लम्बित था जिसका अंकन करते हुए पश्चातवर्ती वाद को खारिज किया है।वर्तमान अपीलाकर्ता ने जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें खसरा नम्बर 114, 115, 116, 117 के अधिकारों को क्लेम किया है जबकि इस भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार पहले से ही प्रत्यर्थी मैथी वगैरह थे तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि बाबत् न्यायालय के आदेशों से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दस्तावेजो का पंजीयन किया गया परन्तु भूमि मौके पर पहले से विभाजित होने के कारण 1/2 हिस्से बाबत् जो अंकन दीवानी न्यायालय में किया गया, वह 1/2 हिस्से के दो खसरा नम्बर बाबत् किया गया, शेष 1/2 हिस्से पर मैथी, बिरदा वगैरह की खातेदारी पहले से थी। इस प्रकार वर्तमान वाद में सावान तथ्यों को छिपाते हुए जो वाद खारिज किया है वह आर.एल.डब्ल्यू 2006 प्रथम, आर.जे. पेज 499 पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अुनसरण में पूर्णतयो विधि अनुकूल है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त जो आर. बी.जे. 2003 पेज 73 पर मुर्दित है जिसमें विचारण न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 जा.दी. की शक्तियॉ किसी भी प्रक्रम पर इस्तेमात करने से शक्ति सम्पन्न माना गया है तथा इस भूमि बावत् पूर्व में न्यायालय में वाद लम्बित है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावर द्वारा इकरारनामें की अनुपालना में दस्तावेज पंजीकृत नहीं करवाने की पालना में वाद को डिक्री कर दस्तावेज का पंजियन करवाया इस प्रकार दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा उनकी अनुपालना मे दस्तावेज के रहते देवीसिंह का इस भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं है तथा इसी कारण वाद को निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत है। विधायिका द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा. दी. के प्रावधान इसी उद्देश्य के साथ संहिता में समाहित किये गये कि व्यर्थ एवं बोगस मुददमेंबाजी से पक्षकारों को बचाया जा सकें तथा न्यायालय का मूल्यवान समय बोगस मुकदमों की सुनवाई में जाया नही हों तर्था वर्तमान प्रकरण में स्वीकृत रूप से यह तथ्य प्रकट है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विद्यमान है तथा यथावत् है जिसकी पालना की जा चुकी है इसके उपरानत जो हक, अधिकार देवी सिंह के वारिसान थे तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेख में अंकित थे वह देवी सिंह के सभी वारिसान पर लागू होते है तथा प्रतिफल देवी सिंह के वारिसान द्वारा प्रत्यर्थीगण से प्राप्त किया गया है वर्तमान अपीलाकर्तागण अपने माता व भाईयों से अपने हिस्से अनुरूप राशि प्राप्त करने व वसूल करने हेतु स्वतंत्र है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10. 2014 यथावत् रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 ने दौराने बहस में बताया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की बहस ही हमारी बहस मानी जावे।

7. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13, 15 ने बताया कि अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस को हमारी बहस मानी जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13, 15 ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2018(2)पेज 1207,2018 (4)डी.एन.जे.(राज)पेज 1374, आर. आर.टी. 2016 (1) पेज 485, 2018 डी.एन.जे.(सुप्रीम कोर्ट)पेज 769 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

8. विद्धान अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रालियों का अवलोकन किया गया एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार कर वादी के वाद को खारिज किया है। पूववर्ती वाद के विचाराधीन रहते एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेक डोर एन्ट्री कर नया वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी

समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 111/2010 बउनवानी श्रीमती मैथी वगैरह बनाम सायरी वगैरह नाम से वाद विचाराधीन है, लेकिन उक्त वाद–पत्र की वादग्रस्त आराजीयात के अतिरिक्त वादीगण ने खसरा नम्बर 115, 116 बाबत् भी वाद पत्र प्रस्तुत किया है एवं उक्त वाद पत्र की वादग्रस्त आराजीयात अलग अलग है। चूँकि धारा 11 जाप्ता दीवानी उस अवस्था/स्थिति में लागू होती है जहॉ कि कोई प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका हों एवं उक्त निस्तारण के पश्चात् उक्त वादग्रस्त विषयवस्तु को लेकर उन्ही पक्षकारों के द्वारा कोई नया वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो तब ही उक्त धारा 11 जाप्ता दीवानी लागू होती है। इस प्रकार प्रकरण (कंवरी बनाम मैथी) का अनुतोष व प्रकरण संख्या 111/2010 मैथी बनाम सायरी व अन्य का अनुतोष अलग–अलग है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारें के वाद का निर्णारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त किया जाना चाहिए।उक्त वाद पत्र को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नही है,इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे वाद में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई करते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पुनः पारित करें।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 63/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर